



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 13, 2014/पौष 23, 1935

No. 84]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 13, 2014/PAUSHA 23, 1935

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2014

का.आ. 84(अ).—केन्द्रीय सरकार, अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास अधिनियम, 2000 (2000 का 37) की धारा 1 के उप खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 जनवरी, 2014 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 93 तथा धारा 94 के उपबंध लागू होंगे।

[फा. सं. 11(1)/2009-एसआईसीएलडीडी]

राज कुमार गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information
Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2014

S.O. 84(E).—In exercise of the powers conferred by the sub-section (3) of Section 1 of the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Act, 2000 (37 of 2000), the Central Government hereby appoints the 15th day of January, 2014 as the date on which the provisions of Sections 93 and 94 of the said Act shall come into force.

[F.No. 11(1)/2009-SICLDD)]

RAJ KUMAR GOYAL, Jt. Secy.